फर्द अहकॉम

(नियम 26)

अदालत उपखण्ड अधिकारी रोड़वा व मुकाम रोड़वा

......आरती गौरी...........बनाम ....जयराम गौरी...........

किस्म मुकदमा ....धारा आवेदन.... मुकदमा नम्बर ....355..../2022

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
02/11/22	प्रार्थी/वादी/अपीलोट के वकील श्री ....श्रीराम बिश्नोई.... यह प्रार्थना पत्र/वाद/अपील धारा ....111, 188 R.C. Act.... राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है । जो दर्ज रजिस्टर हो । विप्रार्थी / प्रतिवादी / रेरपोडेंट जरिये नोटिस / सम्मन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक ....18/11/22.... को पेश है (हस्ताक्षर)	
18/11/22	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उप.। विप्रार्थीगण के सम्मन तामील/अदम तामील अप्राप्त इन्तजार होकर पत्रावली आइन्दा दिनांक 16/12/2022 को पेश हो। (हस्ताक्षर)	
16/12/22	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी वकील उप.। विप्रार्थीगण के सम्मन Reg. Ad. से जारी हुये प्राप्त। पत्रावली वास्ते जवाब wait Ad के इन्तजार में आइन्दा दिनांक 12/01/23 को पेश हो। (हस्ताक्षर)	
12/01/23	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी वकील उप.। विप्रार्थीगण के सम्मन तामील शुदा प्राप्त होने के बावजूद कोई उप नहीं हुआ अतः उनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। प्रार्थी वकील ने उक्त आवेदन पर बहस सुनने का	

निवेदन किया। प्रार्थी वकील की बहस सुनी गई। बहस पर
मनन किया पत्रावली का अध्ययन अवलोकन किया गया।
जिससे प्रतीत होता है कि प्रार्थी का आवेदन स्वीकार करने योग्य है।
अतः नेरवमबंदी निर्णय अलग से लिखा जाकर शामिल
पत्रावली किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर
दाखिल दफ्तर हो संख्या से कम हो।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सेड़वा जिला बाड़मेर

राजस्व आवेदन सं. 355/2022 अन्तर्गत धारा 111,128 एल.आर.एक्ट

नारणा बनाम जयराम वगैरा

पीठासीन अधिकारी –श्री रामजी भाई कलबी आर.ए.एस

प्रार्थी वकील – श्री श्रीराम विश्नोई

निर्णय दिनांक – 12/01/2023

प्रस्तुत प्रकरण में संक्षिप्त मे तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र मे कथन किया है कि तहसील सेड़वा पटवार हल्का केकड भू.अ.नि. क्षेत्र बामड़ला के मौजा डोब की बेरी के खेत खसरा संख्या 198 रकबा 13.6136 हैक्टयर किस्म बारानी सोयम स्थित है। प्रार्थी के खेत के पास विप्रार्थीगण उक्त खातेदारी भूमि के पडोसी है। जिनके खेत प्रार्थी के खेत के पडोस में स्थित होने के कारण बरसात के समय वक्त काश्त अक्सर विप्रार्थीगण सेढो को लेकर विवाद करते रहते है। प्रार्थी एवं विप्रार्थीगण के मध्य सीमा को लेकर विवाद बना रहता है। इस कारण प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान करवाकर पत्थरगड़डी पेमाईश एवं नेखमबन्दी करवाना चाहते है। प्रार्थी ने पेमाईश एवं नेखमबन्दी करने का निवेदन किया है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज कर विप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थीगण के नोटिस बाद तामिल प्राप्त हुए। लेकिन कोई उपस्थित नहीं हुआ, अतः उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई। जिससे स्पष्ट होता है कि प्रार्थी के वक्त काश्त प्रार्थी व विप्रार्थीगण के मध्य सीमाओ को लेकर विवाद बना रहता है, इस कारण प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमी की पेमाईश एवं नेखमबन्दी करवाना चाहते है। प्रार्थी विवादित भूमि के खातेदार काश्तकार राजस्व रेकर्ड मे दर्ज होने के कारण प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर वादग्रस्त भूमि तहसील सेड़वा पटवार हल्का केकड़ भू.अ.नि. क्षेत्र बामड़ला के मौजा डोब की बेरी के खेत खसरा संख्या 198 रकबा 13.6136 हैक्टयर किस्म बारानी सोयम की नेखमबन्दी करने का आदेश दिया जाता है। नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार सेड़वा को कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। कमीश्नर को निर्देश दिये जाते है कि वो दोनो पक्षो के रूबरू किसी मुस्तकील/स्थाई बिन्दु को आधार मानकर पैमाईश करे व भूमापक कर्ता को यह भी निर्देश दिये जाते है कि किसी सक्षम न्यायालय से स्थगन आदेश न हो तो वो दोनो पक्षो के रूबरू विवादित भूमि की मौके की स्थिति व कब्जे काश्त मे परिवर्तन किये बिना मुस्तकील/स्थाई बिन्दु को आधार मानकर पेमाईश करे व नेखमबन्दी कर पालना रिपोर्ट पेश करे वक्त पेमाईश हल्का पटवारी को साथ रखे। नेखमबन्दी के दौरान किसी बिन्दु को लेकर विवाद की स्थिति हो तो नेखम स्थापित नहीं किये जावे और उसकी मौका स्थिति की रिपोर्ट पेश करे। तहरीर जारी हो।

तहसीलदार सेड़वा को आदेश दिया जाता है कि वे प्रार्थी के खसरें की नेखमबन्दी विप्रार्थीगण की उपस्थिति में करावें एवं नेखमबन्दी के दौरान विप्रार्थीगण के हितों पर कुठाराघात न हो।

पत्रावली पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर पेश हो पत्रावली फैसला शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।
निर्णय आज दिनांक 12/01/23 को न्यायालय के खुले परिसर में सुनाया गया।

(रामजी भाई कलबी)
उपखण्ड अधिकारी सेड़वा

उपखण्ड अधिकारी (SDO) सेड़वा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (SDO) सेड़वा जिला बाड़मेर

प्रार्थी		विप्रार्थीगण
1. नारणा पुत्र मोती 2. आसूराम पुत्र आदू 3. जगराम पुत्र आदू 4. हेमाराम पुत्र आदू 5. खेमाराम पुत्र आदू 6. गंगाराम पुत्र आदू 7. गोमाराम पुत्र कुंभाराम 8. देरायाराम पुत्र कुंभाराम 9. मानाराम पुत्र कुंभाराम 10. कुंतादेवी पत्नि कुंभाराम 11. कानू पुत्री माडू 12. हेमी पुत्री माडू जाति जाट निवासी डोब की बेरी तहसील सेड़वा जिला बाड़मेर	बनाम	1. जयराम पुत्र मोटा 2. धर्मा पुत्र मोटा 3. पाबू पुत्र मोटा 4. खेता पुत्र किशना 5. भोमा पुत्र वीजा 6. खेता पुत्र मूला जाति जाट निवसी डोब की बेरी तहसील सेडवा जिला बाड़मेर। 7. श्रीमान तहसीलदार सेड़वा जिला बाड़मेर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राज.भू. राजस्व अधिनियम वास्ते नेखमबंदी बाबत्।

राजस्व आवेदन संख्या 355/2022 दिनांक : 12/01/2023

आदेश

तहसीलदार सेड़वा को भेजकर लेख है कि उपरोक्त प्रकरण में तहसील सेड़वा पटवार हल्का केकड़ भू.अ.नि. क्षेत्र बामड़ला के मौजा डोब की बेरी के खेत खसरा संख्या 198 रकबा 13.6136 हैक्टयर किस्म बारानी सोयम के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करने हेतु तहसीलदार सेड़वा को कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। उक्त विवादित भूमि की पेमाईश आप अपने स्तर पर टीम गठित कर दोनों पक्षों को विधि को विधि सम्मत नोटिस के जरिये सूचित कर यदि किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश न हो तथा नेखमबंदी की पालना 15 दिवस में अवश्य पेश करें। नेखमबंदी के दौरान किसी बिन्दु पर किसी प्रकार निर्माण होने की स्थिति में उस बिन्दु पर नेखम स्थापित नहीं किया जावे और उसकी मौका स्थिति की रिपोर्ट पेश करे। तहसीलदार दोनों पक्षों को नोटिस जारी करने के उपरान्त ही नेखमबंदी की कार्यवाही करेंगें।

नेखमबंदी के दौरान विप्रार्थीगण के हितों पर कुठाराघात न. हों। आवश्यकता होने पर संबंधित पुलिस थाना से इमदाद हेतु अधिकृत किया जाता है।

(रामजी भाई कलबी)
उपखण्ड अधिकारी
O/C सेड़वा

क्रमांक/भू.अ./2023/ 126-35 दिनांक 16/01/2023

प्रतिलिपि :– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ–
1. तहसीलदार सेड़वा।
2. प्रार्थी नारणा पुत्र मोती वगैरा।
3. विप्रार्थीगण जयराम पुत्र मोटा वगैरा।
4. थानाधिकारी पुलिस थाना सेड़वा/चौहटन/बाखासर/बीजराड़/धोरीमन्ना/धनाउ।

उपखण्ड अधिकारी
O/C सेड़वा

उपखण्ड अधिकारी
(SDO) सेड़वा